Vol 6 Issue 11 Dec 2016

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

Indian Streams Research Journal

ISSN: 2230-7850 Impact Factor : 4.1625(UIF) Volume - 6 | Issue - 11 | December - 2016

शासकीय कल्याणकारी नीतियों का पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन (इन्दौर नगर के सन्दर्भ में)

श्रीमती शैलबाला गौड
पीएच.डी. शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर,

प्रस्तावना

आधुनिक युग में समाज का चहुँमुखी विकास हुआ है। आजादी के पश्चात् समाज के सभी क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सामुदायिक चेतना का विकास हुआ है। इससे पुलिस की भूमिका में काफी परिवर्तन आया है, साथ ही वर्तमान समाज भी पुलिस से एक नई भूमिका की अपेक्षा करने लगा है, क्योंकि विकास की इस गति ने समाज के हर क्षेत्र में कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न कर दी है और इस विकास की कीमत समाज को किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ रही है। जैसे औद्योगिक विकास ने पर्यावरण की समस्या को जन्म दिया है तो वहीं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महानगरों का जन्म हुआ है। इन महानगरों में कई प्रकार की समस्याएँ धीरे-धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है जैसे-पेयजल, गंदी बस्तियाँ, बेरोजगारी, बढ़ते हुए अपराध, वैश्यावृत्ति, गंदगी, यातायात की समस्याएँ इत्यादि।

औद्योगीकरण एवं नगरीयकरण से सामाजिक नियंत्रण के प्राथमिक साधन परिवार, पास-पड़ोस, धर्म-जाति आदि शिथिल हुए हैं। इस कारण अपराध एवं बाल अपराधों की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। इसी प्रकार तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी और आर्थिक अपराधों की दर में अप्रत्याशित वृद्धि की है। साथ ही जहाँ शिक्षा के प्रसार ने जनता के मानसिक स्तर को ऊपर उठाया है वहीं इससे

सफेदपोश अपराधों की संख्या में तेजी आयी है।

इसके साथ-साथ भौतिक साधनों के नये-नये अविष्कारों से भौतिकवाद बढ़ा है, परंतु दूसरी ओर हमारी रूढ़ियाँ, कुप्रथाएँ और अंधविश्वासों में उस अनुपात में कमी नहीं हुई है। जिसके परिणामस्वरूप कई प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है।

संसार के समस्त कानूनों पर एक अलिखित कानून भारी पड़ता है और वो यह कि कानून माना तभी जाता है जब वो मनवाया जाता है। दूसरे शब्दों में सारी विधि व्यवस्था क्रियान्वयन और प्रवर्तन पर निर्भर करती है। मानव की सहजातवृत्ति स्वार्थ है और दूर्भाग्यपूर्ण विडम्बना यह है कि वह दूरगामी स्वार्थो की तुलना में तात्कालिक स्वार्थो को अधिक महत्व देता है। परिणामस्वरूप कई बार वास्तविक स्वार्थों पर शुद्र पर स्वार्थ भारी पड़ जाते हैं। और मनुष्य विधि व्यवस्था भंग करने का आत्मघाती प्रयत्न करता है। ऐसे में शासन प्रशासन विधि के बाध्यीकरण के लिये स्वयं बाध्य हो जाते हैं। यानि विधि प्रवर्तन एक आवश्यक बुराई है और समाज के शत प्रतिशत ज्ञानी होने तक अपरिहार्य भी रहेगी।

विधि को प्रवर्तित करने का कार्य यानि लॉ इफोर्समेन्ट पुलिस के हिस्से में आता है और पुलिस विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को इस क्रिया प्रकिया में भाग लेना पड़ता है। चूँकिं हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया का गहरा प्रभाव पुलिस कर्मियों के जीवन पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

आरक्षकों से लेकर उच्च अधिकारियों तक पुलिस विभाग का हर व्यक्ति और उनके परिजन सभी का सामाजिक जीवन विधि प्रवर्तन नामक क्रिया की प्रतिक्रिया परिणामों को झेलते हैं, सहते है और उसके साथ समायोजन करते हैं। सत्य यह है कि कानून लागू करने या करवाने का काम अत्यंत जटिल है, दूभर है और भद्दा प्रतीत होने वाला है। इसकी जटिलता कई बार इतनी अधिक होती है कि मानव अधिकार और विधि प्रवर्तन आमने सामने आ जाते हैं। कहना न होगा कि पुलिस कार्मि दो पाटन के बीच पिसने के लिए विवश हो जाते हैं। विड़बना यह है कि कुएं और खाई में से एक का चयन करने पर पुलिस के हिस्से में बदनामी आती ही आती है। क्या पुलिस कार्मिक इंसान नहीं हैं ? क्या इनके दिल नहीं दुखते ? क्या इनके मनोभाव आहत नहीं होते ? हाल ही में एक तथा कथित धर्मगुरू को न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में उपस्थित करने का विधि प्रवर्तन हरियाणा पुलिस की सांप छुछूंदर जैसी कर्तव्यविमूढता स्थिति हर हाल में बदनाम को रेखांकित करने वाली है।

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक तनावग्रस्त व्यक्ति शीर्घ ही अवसादग्रस्त भी हो जाता है। जब व्यक्ति घोर अवसाद की स्थिति में क्रूर या कठोर हो जाता है, तो उसका बिगड़ा व्यवहार उसका चेहरा बिगाड़ देता है यानी उसकी छवि धुमिल कर देता है और यह धूमिल छवि पहले से उपस्थित तनाव में और वृद्धि कर देती है। अधिक तनाव का परिणाम होता है, अधिक अवसाद और फिर तो यह अनन्त अधःपतन रोके नहीं रूकता।

अपराधों की रोकथाम, अपराधों की जांच पड़ताल, अराधियों की धर-पकड़, गिरफ्तारी, आदि अप्रिय किन्तु उपयोगी काम करना और करते चले जाना पुलिस कार्मिकों के मनोमानस पर तीखा, गहरा और अमिट प्रभाव छोड़ता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप पुलिस कार्मिकों का आचार-विचार, व्यवहार आदि बदल जाता है, सच कहें तो प्रायः बिगड़ ही जाता है। सामान्य विधि, मानव अधिकार और संवैधानिक विधि-विधानों का प्रवर्तन कराते-कराते पुलिस कार्मिकों के अपने प्रति प्राकृतिक न्याय न कर पाना गम्भीर चिन्ता

का भी विषय है एवं गहरे चिन्तन का भी और भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि तनाव व अवसाद से ग्रस्त कतिपय पुलिस कार्मिक विधि सम्मत कार्य करने के बजाय उनसे बचने या उन्हें टालने के गलियारे तलाश लेते हैं और अपने साथ-साथ समूचे पुलिस विभाग की छवि बिगाड़ देते हैं।

पुलिस विभाग स्वयं अन्याय सहकर औरों के साथ न्याय कर पाएगा, यह कपोल कल्पना मात्र है, यथार्थ नहीं। कार्य के अत्यधिक दबाव से दबे, उच्च अधिकारियों के तुगलकी फरमानों और सनकी रवैये के संत्रास से संतप्त, छुट्टियों की न्यूनता से दुखी, खूंखार आतंकियों और खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी और पेशी आदि की जोखिम झेलते और पारिवारिक व सामाजिक वृत्त से आते तानों-टिप्पणियों को सहते पुलिस कार्मिकों से भला क्या अपेक्षा की जाएगी ? सभ्य आचरण, विनम्र व्यवहार, दृढ़ चरित्र और उच्च मनोबल की, या इसके ठीक विपरीत बिगड़े मिजाज, चिढ़चिढ़ेपन ओर ढुल-मुल रवैये की ? ब्रिटिश शासनकाल के पुलिस सांचे में आमूल-चूल परिवर्तनों की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है। सतही परिवर्तनों से समस्या रूपी विष-वृक्ष के पत्ते को काट सकते है टहनियां टूट सकती है, किन्तु थोडे ही समय में फिर से कोपलें फूट आती है और सामने होता है वहीं विष-वृक्ष। ढांचागत परिवर्तनों के साथ पुलिस का सशक्तिकरण न्यायपूर्ण प्रशासन, विधिसम्मत व्यवस्था व विधि प्रवर्तन यानी कानून के बाध्यीकरण के लिये अनिवार्य भी है और अपरिहार्य भी।

वर्तमान युग गतिशीलता का युग है, इस युग में नई-नई तकनीकी, वैश्वीकरण, कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से देश निरन्तर प्रगति कर विकासशील देशों की अग्रणी पंक्ति में खडा है। आज हमारे देश ने उसकी तरक्की कर ली है, कि मंगलयान पर घर बनाने का सपना देख रहे है। भारत की हृदय स्थली में बसा मध्यप्रदेश जिसकी वर्तमान जनसंख्या सन २०११ की जनगणनानुसार ७२६२७ हजार है, जिसमें पुरूषों की संख्या ३७६१२ हजार महिलाओं की संख्या ३५०१५ हजार है। मध्यप्रदेश का भौगोलिक ३०८ हजार वर्ग किलोमीटर है, इसके ५१ जिले, ३६७ तहसीले, ३१३ विकासखण्ड, ८६ आदिवासी विकासखण्ड, ४७५ नगर/शहर, ५४६०३ ग्राम, ५३७३८ राजस्व ग्राम, १६ नगर निगम, ९८ नगरपालिकाये, २६४ नगर परिषद, २२५२५ ग्राम पंचायत, ३१३ जनपद पंचायत, ५१ जिला पंचायत है। एवं पुलिस विभाग के ११ जोन (आई. जी.पुलिस) १५ रेंज (डी.आई.जी. पुलिस) ५१ पुलिस जिले (एस.पी.) ५३ कन्ट्रोल रूम, १८४ पुलिस उपसम्भाग, १०६१ पुलिस थाने, ५६२ पुलिस चौकियाँ है। वर्तमान में एन २०१५ में मध्यप्रदेश की जनसंख्या बढ़कर ७८, ४६२, ६०६ हो गई है। इस प्रदेश के मध्य में स्थित, इन्दौर शहर है, जो औद्योगिक नगरी कहलाता है, जिसकी सन २०११ की जनगणनानुसार कुल जनसंख्या ७२५६७,५६५ है। जिसमें पुरूषों की संख्या ३७,६१२,६२० एवं महिलाओं की संख्या ३४६८४,६५ है। इन जनसंख्या पर पुलिस विभाग द्वरा इन्दौर पुलिस को जो पुलिस बल वर्तमान में कार्यरत वह बढ़ते अपराध की अपेक्षा बहुत कम है। क्योंकि मध्यप्रदेश में इन्दौर का नाम अपराधिक मामलें में प्रथम स्थान पर है। इन सब आन्तरिक परिचितियों को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाना आवश्यक है।

लोक कल्याण मुख्यतः लोगों के लिए मौलिक अधिकारों और अवसरों से सुनिश्चित करने का सरकार द्वारा एक प्रयास है। इसके अंतर्गत नागरिकों के लिए मुख्यतः भलाई और सामाजिक समर्थन एवं सार्वजनिक सहायता, स्वास्थ्य, शैक्षणिक आवासीय, आर्थिक आदि महत्वपूर्ण पक्ष आते हैं। प्रत्येक लोक कल्याणकारी राज्य को लोकहितों का परिक्षण अनिवार्यतः करना होता है। बढ़ती हुई जनजागृति और सूचना क्रांति के चलते उपरोक्त अनिवार्यता अपरिहार्यता में बदल चुकी है। राज्य जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से जनसेवा का दायितव निभाता है, उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये कल्याणकारी नीतियों एवं तद्नुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन भी न्यायोचित आवश्यकता है।

पुलिस प्रशासन जो आमतौर पर कानून तथा व्यवस्था को निभाने के कार्य चौबीस घंटे संपादित करता है, जिसकी वहज से कई ऐसे पक्ष जैसे बच्चों के विकास में माता-पिता का महत्व, बच्चों और परिवारों के घरेलू हिंसा में माता-पिता का अभाव, कर्मियों तथा अधिकारियों पर कार्य स्थल का प्रभाव को कार्य निर्वहन के समय नजर अंदाज करना होता है। अतः सामाजिक न्याय के साथ कानून और व्यवस्था के लिये प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण पूलिस विभाग हेतु शासन द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी नीतियों का अध्ययन शोध की महती आवश्यकता है।

पुलिस अंग्रेजी शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द 'पोटिटियो' से हुई है। इसके साथ ही यह लैटिन भाषा के 'पोलिटी' शब्द का समान्तर प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रशासनिक कर्तव्यों को संपन्न करने वाले व्यक्तियों को ही पुलिस कहा जा सकता है। पुलिस की परिभाषा करते हुए सदरलैण्ड ने लिखा है कि ''पुलिस शब्द प्राथमिक रूप से राज्य के उन एजेन्टों की ओर संकेत करता है, जिसका कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और विशेषकर नियमित अपराध संहिता को लागू कराना है।

यदि हम सदरलैण्ड द्वारा प्रस्तुत पुलिस की उपर्युक्त परिभाषा की व्याख्या करतें हैं तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है :—

१.पुलिस राज्य के प्रतिनिधि ऐजेन्ट के रूप में कार्य करती है।
२.पुलिस का कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है।
३.इसका मौखिक कार्य अपराध संहिता को लागू कराना है।

आज की पुलिस प्रणाली अंग्रेजी की देन है। अंग्रेजों ने अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिये पुलिस बल का गठन किया। इसमें इस्ट इण्डिया कम्पनी को सफलता मिली । पुलिस की भूमिका से डकैती, राहजनी, लूट, ठगी जैसे अपराधों में गिरावट आई। १८६० में प्रथम पुलिस आयोग की नियुक्ति हुई। भारतीय दण्ड संहिता दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय पुलिस संहिता जैसे महत्वपूर्ण कानून १६६१ में लागू हुए। द्वितीय पुलिस आयोग की नियुक्ति १६०२ में हुई। जिसमें १८६० में लागू पुलिस शासन प्रणाली की तीव्र आलोचना के साथ आमूल परिवर्तन की मांग हुई। परिवर्तनों और क्रियान्वयनों का सिलसिला ७५ वर्षों तक चलता रहा। प्रदेश स्तरीय समितियों का गठन भी हुआ लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली में खास परिवर्तन नहीं हुए। पुलिस की भर्ती में वीरता और बुद्धि का विशेष महत्व नहीं था। जे.सी.कटी ने अपनी पुस्तक ''भारतीय पुलिस'' में बताया कि पुलिस की स्थिति बड़ी दुखद एवं असंतोषजनक थी। इस स्थिति में सुधार का प्रयत्न १८६० और १६०२ के पुलिस आयोग ने किया।*

स्वतंत्र भारत में पुलिस प्रशासन का संगठन –

स्वतंत्र भारत के संविधान में पुलिस व्यवस्था राज्यों की कार्यसूची में है। प्रत्येक राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे अपनी सीमा में अपराधों की रोकथाम और शांति व्यवस्था की स्थापना का कार्य करें। इस दृष्टि से भारत के प्रत्येक राज्य में पुलिस की स्थापना की गई, जिसमें निम्न पदों पर नियुक्त अधिकारियों को वर्गीकृत किया।

१.पुलिस महानिदेशक – Director General Police

२.क्षेत्रिय पुलिस महानिदेशक – Inspector General of Police
३.पुलिस उपमहानिरीक्षक – Dupty Inspector General
४.उप–महानिरीक्षिक, राजकीय रेलवे पुलिस – Dupty Inspector General (Railway)
५.आयुक्त – Commissioner
६.जिला मेजिस्ट्रट – Distt. Magistrate
७.पुलिस अधीक्षक – Suprintendent of Polic
८.सहायक उप पुलिस अधीक्षक – Deputy Suprintendant of Police
६.रिजर्व निरीक्षक – Reserve Inspector & reserve sub-Inspector
१०.क्षेत्र निरीक्षक – Circle Inspector
११.उपनिरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधिनस्थ अधिकारी
१२.थाने का भार साधक अधिकारी – Office Incharge of Police station
१३.अधिनस्थ उप निरीक्षक – Subordinate Sub-Inspector
१४.प्रधान आरक्षी थाना का मुहर्रिर – Headconstation writer
१५.चौकी भार साधक प्रधान आरक्षक – Head contiable in-chage of outport
१६.आरक्षक – Constable
१७.सशस्त पुलिस – Armed Police
१८.सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व – Armed Training Reserve
१६.अश्वरोही पुलिस – Mounted Police
२०.ग्राम पुलिस – Village Police

सर्वेक्षित संभाग में कार्यरत पुलिस के विभिन्न स्वरूप :–

१.सामान्य गणवेशधारी पुलिस
२.गणवेश रहित खुफिया पुलिस
३.महिला पुलिस
४.होमगार्ड
५.सशस्त्र पुलिस (PAC)

सारांशतः कह सकते है कि सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए औपचारिक नियंत्रण साधन के रूप में पुलिस एक सशक्त संगठन है। पु का अभिप्राय पुरषार्थी, लि का अभिप्राय लिप्सा रहित और स का अभिप्राय सहयोगी है।

प्रस्तावित शोध एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषय पर होने वाला बहुआयामी एवं बहुउपयोगी शोध है। आडम्बर एवं सतही आग्रही से थक चुका शोध संसार अब गंभीरता पूर्वक अपेक्षा करता है, परिणामवादी परिणति की शोध के अंत में जो भी निष्कर्ष निकले वे देश–समाज के लिए उपयोगीता हो और उस पर लगाया गया समय, श्रम, धन और ऊर्जा सार्थक कहां जा सके।

मध्यप्रदेश पुलिस का संगठन (वर्तमान समय में)

राज्य पुलिस संगठन की इकाईयों को निम्नवत् वर्गीकृत किया जा सकता है।

राज्य गृह मंत्रालय
(STATE HOME MINISTRY)
↓
पुलिस मुख्यालय
(POLICE HEAD QUARTER)
↓
जोनल महानिरीक्षक
(I.G.P. ZONES)
↓
रेंज उपमहानिरीक्षक
(D.IG.ZONES)
↓
जिला पुलिस कार्यालय
पुलिस अधीक्षक
(SUPDT. OF POLICE)
↓
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस
(S.D.O.POLICE)
↓
थाना
(POLICE STATION)
↓
चौकी / बीट
(CHAUKI/BEAT)

प्रत्येक राज्य के पुलिस मुख्यालयों में ''पुलिस महानिदेशक'' के कार्य में परामर्श एवं सहायता देने हेतु अनेक वरिष्ठतम अधिकारी–अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्य करते हैं। पुलिस मुख्यालय मुख्य रूप से दो प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। प्रथम, वह ''नीति निर्माण'' में अह्म भूमिका का निर्वाह करता है और द्वितीय, वह नीतियों को क्रियान्वयन'' हेतु विभाग के क्रियाकलापों का निर्देशन, पर्यवेक्षण एवं संचालन करता है। वित्तीय प्रबन्ध तथा विभाग में अनुशासन बनाये रखने में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को व्यापक शक्तियाँ मिली हुई है। सामान्य रूप से पुलिस मुख्यालय में निम्नलिखित शाखाएँ पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में कार्य करती हैं।

१. प्रशासन शाखा
२. योजना एवं प्रबंध शाखा
३. अपराध अनुसंधान विभाग
४. इंटलीजेन्स शाखा
५. राज्य अपराध अभिलेख विभाग
६. हरिजन कल्याण विभाग
७. विशेष सशस्त्र बल
८. रेलवे पुलिस शाखा
६. प्रशिक्षण शाखा
१०. विशेष पुलिस स्थापना
११. आर्थिक अपराध शाखा
१२. जेल प्रशासन
१३. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन
१४. अन्य विशिष्ट शाखायें

शोध प्रविधि

वास्तविक सूचना या तथ्यों के बिना सामाजिक शोध या अनुसंधान वास्तव में एक अपंग प्राणी की तरह होता है। इस अध्ययन के दौरान इन्दौर नगर के क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या तथा उनके लिये प्रदत्त पुलिस बल के अनुपात पर हमें गौर करना होगा। सन् २०११–२०१२ में जनगणना के अनुसार, इन्दौर की जनसंख्या लगभग २० लाख है एवं जिले की जनसंख्या लगीाग ३० लाख है। जबकि हम पिछली जनगणना सन् १६८१ के अनुसार शहर जनसंख्या लगभग ८.२६ लाख थी। इन्दौर नगर के मास्टर प्लान के अनुसार इन्दौर नगर की आबादी वर्ष २०२१ में लगीाग २८ लाख हो जायेगी। बढती हुई जनसंख्या के इस विकराल रूप के साथ अपराध नियंत्रण की महत्वपूर्ण शक्ति पुलिस बल में क्या जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होना देखा गया है। ये एक महत्वपूर्ण चुनौती भरा प्रश्न है। सन् २०११–१२ में नगर के क्षत्रफल पर निगाह डाले तो हम देखेंगे की नगर का क्षेत्रफल पूर्व में १३० वर्ग कि.मी. से बढ़कर ५.०५.२५ वर्ग कि.मी. हो गया है । इसी प्रकार शहर का घनत्व जो सन् १६६२ में ८४८५.८ व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. था, सन् २०११–१२ में १५३१५.४ व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. हो गया है। पहले के अपेक्षा दो तीन गुना वृद्धि हर क्षेत्र में पाई गई है।

वर्तमान में वर्ष २०१६ के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पुलिस बल में आरक्षक ३०७० प्रधान आरक्षक १०८२, सहायक उपनिरीक्षक ५६६, सहायक निरीक्षक २३४, निरीक्षक ५६, उपपुलिस अधीक्षक २३, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ०६, पुलिस अधीक्षक ०३, उपपुलिस महानरीक्षक ०१ है। जो इन्दौर नगर एवं आसपास पूरे जिले के लिये भी काम करती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम केवल इन्दौर नगर के संदर्भ में अपना अध्ययन करने जा रहे है। अतः आवश्यक बल की संख्या अनुपातिक रूप में कितनी कम है, ये ध्यान आकर्षित करने वाला आंकड़ा है। वर्तमान में विधानानुसार जनसंख्या के अनुपात से ५०० व्यक्तियों पर एक आरक्षक होना आवश्यक है।

स्वीकृत बल के अनुसार शोधार्थी उपरोक्त बल ४०५२ आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक में से अपने शोध के लिए २०० और ८८६ अधिकारियों में से २०० अधिकारीयों को दैन निदर्शन के माध्यम से चयन किया गया।

निदर्शन शब्द को यहां जानना आवश्यक है निदर्शन समग्र का छाटा भाग या अंश है, जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसमें समग्री की मौलिक विशेषताऐ पाई जाती है। जिस प्रकार दैनिक जीवन में हम निदर्शन का प्रयोग करते है, बाजार में गेहूँ, चाँवल, मिठाई आदि खरीदने से पहले इसका नमूना देखते है ये नमूना ही प्रतिदर्श या निदर्शन होता है। अतः निदर्शन वो पद्धति है, जिसके द्वारा केवल समग्र के एक अंश का निरीक्षण करके संपूर्ण समग्र के बारे में जाना जा सकता है। निदर्शन पद्धति का प्रयोग दिनों दिन अनुसंधान के क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि इस प्रविधि से समय, धन तथा श्रम की बचत होती है। निदर्शन के अंतर्गत दो विधियों का जिग्र होता है।

१. संभावित या दैव निदर्शन
२. असम्भावित निदर्शन

चूंकि असंम्भावित निदर्शन में अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से संपेल

शोध समस्या का चयन

शोध के लिये सबसे आवश्यक तत्व होता है शोध समस्या क्या है। इस विषय शोध हुआ या नही। यह शोध पुलिस विभाग के कितना उपयोगी सिद्ध होगा। यह सब बाते शोध सकस्या का चयन करते समयय शोधकर्ता के दिमाग में उपजती है और वह शोध समस्या का चयन गम्भीरतापूर्वक करता है, जिससे उससे निकलने परिणाम समाज, पुलिस विभाग, पुलिस विभाग कार्यरत कर्मियों के लिये उपयोग सिद्ध हो। हमारे पुलिस विभागको आन्तरिक सुरक्षा का अभिन्न अंग माना जाता है। सुरक्षा की दृष्टि को देखा तो प्राचीनतम समय से चली आ रही राजा–महाराजाओं के समय भी सुरक्षा में लिये सैनिक रखे जाते है, जो आय स्वरूप बदल पुलिस विभाग के रूप में हो गया।

हमारे देश में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में योजना संचालित करती है और उसे लागू करती है ताकि समाज के सभी तबको को उसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार पुलिस विभाग द्वारा भी अपने विभाग में कार्यरत पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के लिये योजनायें संचालित है। ताकि उनके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। शोधकर्ता द्वारा भी इन योजनाओं की कार्य प्रणाली की जानने, समझने

के लिये इसका अध्ययन किया अपना शोध कर कार्य क्षेत्र का विषय बनाया। जिससे यह ज्ञात हो सके इन योजना का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मी एवं अधिकारी इसका कितना लाभ ले रहे, इसका अध्ययन कर विश्लेषण कर सके।

उद्देश्य –

१. पुलिस विभाग के लिए राज्य शासन की कल्याणकारी नीतियों का वस्तुपरक अध्ययन एवं समीक्षा करना।
२. उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं में रूपान्तरण की सूक्ष्म विवेचना करना।
३. उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आंकड़ों के आधार पर सटीक विश्लेषण करना तथा निष्पक्ष मूल्यांकन करना।
४. यह ज्ञात करना कि पुलिस अधिकारियों की तुलना में पुलिस कर्मियों के मामले में कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं प्रदत्त अधिकारों का प्रभाव असमानता एवं पक्षपातपूर्ण तो नहीं है।
५. समस्त हितग्राहियों के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक, पारिवारिक एवं स्वास्यि संबंधी कल्याण का महत्वकांक्षी कार्य वास्तव में किस सीमा तक संपादित हो रहा है तथा इस संबंध में सुधारात्मक अनुशंसाए जिससे शासकीय कल्याणकारी नीतियाँ अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके।

अध्ययन का महत्व

देश एवं प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा का सारा दायित्व पुलिस विभाग के ऊपर होता है। प्रदेश अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस कर्मि एवं पुलिस अधिकारी रात-दिन डयूटी करते है और अपना दायित्व पूर्ण ईमानदारी से निभाते है। इन पुलिस कर्मीयों एवं पुलिस अधिकारियों के लिए एवं इनके परिवार के लिये पुलिस विभाग द्वारा समय-समय योजनाएं संचालित करती है, जिसका लाभ इनको एवंइनके परिवार को मिल सके। इन योजनाओं के केन्द्रीय कल्याण निधि से प्राप्त धनराशि में से इनको एवं इनके परिवारा के सदस्यों को शिक्षा निधी, संकट निधी, परोपकार निधि, जीवन रक्षा हेतु चिकित्सा अग्रिम, आदि योजनाओं के माध्यम से निधीयां दी जाती है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, सेवा में रहते हुए असमय मृत्यु के पश्चात् बच्चो को दी जाने वाली शिक्षा निधि से नियमित छात्रवृत्ति एवं गम्भीर बीमारियों के लिये उपचार हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इस सबका अध्ययन योजनाओं के क्रियान्वयन इनको मिल रहे लाभ एवं सुविधाओं का व्यापक अध्ययन किया जाना विभाग के लिये सार्थक सिद्ध होगा।

शोध प्रारूप

किसी की कार्य पूर्ण रूप से समय करने के लिये उसकी विधीवत रूपरेखा तैयार की जाती है। इस रूपरेखा के आधारपर उस कार्य स्टेप बॉय स्टेप अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान कार्य शुरू करने से पहले उसकी एक कार्यकारी रूपरेखा अर्थात् अनुसंधान प्रारूप तैयार कर लिया गया, जिसमें शोध समस्या का चयन एवं उसका सूत्रीकरण, अध्ययन क्षेत्र का चयन, अध्ययन की इकाई, अध्ययन का समग्र, तथ्यों का संकलन अध्ययन की सीमा, अध्ययन की कठिनाईयां आदि बातों को शामिल किया है। सामान्य भाषा में अनुसंधान कार्य सही दिशा की ओर अभिमुख होने की रूपरेखा को शोध प्रारूप कहते है। प्रस्तुत अध्ययन के लिये वर्णनात्मक शोध प्रारूण को अपनाया गया है।

शोध विधि

दैव निदर्शन पद्धति के माध्यम से उत्तरदाताओं का चयन कर उससे साक्षात्कार किया गया। इन्दौर शहर में वर्तमान कुल पुलिस बन ५०४७ है। जिसमें ४१५२ आरक्षक एवंव प्रधान आरक्षक एवं ८६५ पुलिस अधिकारी है। इनमें से ४०० उत्तरदाताओं का चयन किया जिसमें ४१५२ में २०० आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक तथा ८६५ में २०० पुलिस अधिकारीयों का चयन कर सूची तैयार करके समानुपात में अध्ययन में केन्द्र बिन्दु बनाया गया।

इन्दौर में कुल पुलिस बल की स्थिति

क्र.	पद	संख्या
1	आरक्षक	3070
2	प्रधान आरक्षक	1082
3	उप सहायक निरीक्षक	569
4	सहायक निरीक्षक	234
5	निरीक्षक	56
6	उप पुलिस अधीक्षक	23
7	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	09
8	पुलिस अधीक्षक	03
9	उप पुलिस महानिरीक्षक	01
	योग	5047

(स्त्रोत- उपपुलिस महा निरीक्षक कार्यालय, इन्दौर म.प्र.)

अध्ययन का क्षेत्र :–

अध्ययन के लिये इन्दौर शहर का चयन किया गया, क्योंकि इन्दौर शहर औद्योगिक नगरी भी कहलाता है और शहर पर अधिक पुलिस बल भी पदस्थ है।

अध्ययन इकाई का चयन –

इन्दौर शहर में पदस्थ पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारियों को शोध अध्ययन की इकाई के रूप में चयन किया गया। इध्ययन कस समग्र इन्दौर में पदस्थ पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकार है। जिनकी कुल संख्या का वर्तमान में ५०४७ है, को शोध अध्ययन का विषय बनाया गया और दैव निदर्शन प्रणाली के आधार पर ४०० पुलिस कर्मी एवं अधिकारियों का चयन किया गया। दैव निदर्शन पद्धति, निदर्शन की सबसे सरल पद्धति है, जिसमें किसी जटिल प्रक्रिया अथवा गूढ नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। इसलिये अनुसंधानकर्ता ने दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

देव निदर्शन पद्धति की विधि

शोध के प्रारंभिक चरण में अनुसंधानकर्ता ने सर्वप्रथम इन्दौर में पदस्थ कुल पुलिस बल की सूची उप पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, इन्दौर से प्राप्त की उसके पश्चात् दैव निदर्शन पद्धति की लॉटरी विधी द्वारा कुल पुलिस बल ५०४७ में से ४०० पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों का चयन किया गया।

साक्षात्कार अनुसूची

शोध समस्या से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखकर साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया, जिसमें उत्तरदाता पुलिस कर्मीयों एवं अधिकारियों की प्राथमिक जानकारी, कार्य से संबंधित तथ्य, उनके मिलने सुविधा, भत्ते, विभिाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं आदि का समावेश किया गया है।

उपकल्पनाएं

१.पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस कर्मी एवं अधिकारी योजना का लाभ उठाते है या नहीं ।
२.कौनसी योजना पुलिस कर्मीयों के लिये और कौनसी योजना पुलिस अधिकारियों के लिये क्या बास्तव में ऐसा है
३.योजनाओं का लाभ उठाने तथा कठिनाईयों भी आती है।
४.जिस योजनाओं के लिये आवेदन है वास्तव में उसका लाभ मिलता है।
५.योजनाओं का क्रियान्वयन सही रूप से हो रहा है।

कल्याणकारी योजनाएं एवं उनका प्रभाव

म.प्र. की राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी नीतियाँ

१.म.प्र. पुलिस कल्याण निधि – सदस्य – म.प्र. पुलिस के समस्त कर्मचारी/अधिकारी इस निधि के सदस्य है।
२.अनाज एवं अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय सुगम करने हेतु ग्रेन शॉप, जनरल स्टोर्स, टी केन्टीन, दुग्ध–डेरी, लकड़ी का टाल, पेट्रोल पंप आदि लगाना।
३.पुलिस कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के मनोरंजन तथा पढ़न–पाठन हेतु लाईब्रेरी, छात्रावास, बाल–उद्यान, आदि स्थापित करना।
४.पुलिस की विभिन्न इकाईयों में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु क्लब स्थापित कर संचालित करना।
५.शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को पुलिस कल्याण केन्द्रों से जोड़कर पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों, बच्चों, इत्यादि को मूलभुत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
६.नगर निगम, नगर पालिका निकायों से संपर्क स्थापित कर आवासीय कॉलोनियों की साथ–सफाई रिाना सांसद निधि, विधायक निधि से आवश्यक निर्माण कार्य कराना, मंगलभवन, सामुदायिक भवन, मनोरंजन भवन बनाना तथा खेल की सुविधाओं को बढ़ाना। पुलिस इकाई की मूलभुत सुविधाओं में सुधार करने तथा लघु निर्माण कार्य करने, आवासगृहों की मरम्मत करने, प्रकाश (विद्युत) व्यवस्था करने, पेयजल सुविधा मुहैया कराने, शौचालयों का निर्माण कराने व मरम्मत कराने क्वार्टर गार्ड का उन्नयन, पुलिस केंटीन का उन्नयन, पुलिस चिकित्सालयों की मरम्मत तथा चिकित्सकों, स्टाफ सदस्यों तथा विशेषज्ञों की सेवाएं लेने एवं विशेष प्रकरणों में चिकित्सा कराने हेतु अग्रीम ऋण देना, जवानों एवं उनके परिवारों के लिये चिकित्सा शिविरों एवं विकलांग सदस्यों के इलाज हेतु अनुदान देना, अधिकारियों एवं कर्मियों के बच्चों के कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु कम्प्युटर व सह उपकरणों को क्रय करना, कूलर आदि प्रदाय करना, पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के सामूहिक हित के लिये ऐसे विशिष्ट कार्यो को जो अत्यन्त आवश्यक हो की स्वीकृति प्रदान करना।
७.नक्सलाईड क्षेत्र में ड्यूटीरत पुलिस बल के हितार्थ विशिष्ट परिस्थितियों में केन्द्रीय कल्याण केन्द्र से चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
१.पु.म.नि./उप पुलिस महानिरीक्षक – ७५००/– तक
२.पुलिस अधीक्षक/सेनानी – ५०००/– तक
३.प्रभारी चिकित्सा अधिकारी – २५००/– तक

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अधिकांश पुलिस कर्मियों को योजनाओं की जानकारी है, जबकि १०० प्रतिशत पुलिस अधिकारियों को भी योजनाओं की जानकारी है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध का विषय – 'शासकीय कल्याणकारी नीतियों का पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों पर प्रभाव तुलनात्मक अध्ययन' के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्ष निम्नानसार है –

१. अधिकांश उत्तरदाता आरक्षक के पद एवं उप सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत है।
२. शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। पदोन्नति व भत्ता प्राप्ति की इच्छा सभी के लिए महत्व रखती है, जिसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, प्रस्तुत शोध अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश पुलिसकर्मी एवं अधिकारी स्नातक एवं स्नातकोत्तर हायर सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त है।
३. शोध अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारी विवाहित है।

४. शोध अध्ययन में पाया गया कि ३०.२५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारी एकाकी परिवार है, जबकि ६२.२५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारीयों ने बताया उनका परिवार संयुक्त है, २.७५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विस्तृत परिवार बताया, ४.७५ प्रतिशत ने अन्य बताया। अन्य से तात्पर्य किसे रिश्तेदार के यहाँ रहता है।

५. शोध अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारियों के परिवार में आश्रित सदस्यों की संख्या ४ से ८ सदस्य है।

६. शोध अध्ययन में पाया गया कि ७.७५ उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारियों की मासिक आय १० से २० हजार रूपये है, जबकि ४०.५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों की मासिक आय २० से ३० हजार रूपये मासिक है, २६ प्रतिशत की मासिक आय ३० से ४० हजार रूपये प्रतिमाह २०.२५ प्रतिशत की ४० से ५० हजार रूपये एवं ५.५ उत्तरदाता पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों की मासिक आय ५० हजार से अधिक प्रतिमाह है।

७. आयु समुह के अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाता पुलिस कर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों की आयु २१ वर्ष ३० वर्ष की है।

८. आवासीय अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारियों के पास स्वयं के मकान है।

९. जिन उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों के पास स्वयं के मकान है, उनमें १९.५७ प्रतिशत के पास कच्चा मकान, ४४.४६ प्रतिशत के पास अर्द्धपक्का मकान, ३५.९७ प्रतिशत के पक्के मकान है। इससे ज्ञात होता है कि जिनके पास स्वयं के मकान उनमें अधिकांश अर्द्धपक्क मकान है। जिन उत्तरदाताओं ने किराये के आवास में रहना बताया उनके २५.२३ प्रतिशत कच्चे मकान में, १८.९२ प्रतिशत अर्द्धपक्के मकान में, ५३.८५ प्रतिशत पक्के मकान में निवासरत है। अतः कहा जा सकता है कि जो उत्तरदाता किराये के मकान में रहते है, वे अधिकांश मकान पक्के है। जिन उत्तरदाताओं ने शासकीय आवास में रहना बताया है, उनमे ३३.३३ प्रतिशत अर्द्धपक्के मकान में, ६६.६६ प्रतिशत उत्तरदाता पक्के मकान में निवासरत है। अतः कहा जा सकता है कि अधिकांश शासकीय आवास पक्के है। जिन उत्तरदाताओं ने अन्य स्थान पर रहना बताया है, उनमें ११.७७ प्रतिशत उत्तरदाता कच्चे मकान में, ४१.१७ प्रतिशत अर्द्धपक्के मकान में एवं ४७.०६ प्रतिशत पक्के मकान में रहना बताया। कहा जा सकता है कि जो उत्तरदाता अन्य स्थान पर निवासरत वह पक्का मकान है।

१०. जिन उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों ने अपने स्वयं का मकान होना बताया है, उसमें २४.८७ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि मकान पुश्तैनी है, ५८.७३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने स्वयं खरीदा, ६.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि दान स्वरूप मिला, जबकि ९.२३ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस कर्मी और अधिकारियों ने अन्य प्रकार का होना बताया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिनके पास स्वयं के मकान है स्वयं अधिकांश उत्तरदाता द्वारा खरीदे गये है।

११. शोध अध्ययन में पाया कि उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारी शासकीय आवास में निवासरत है, उनके ३५.६६ प्रतिशत उत्तरदाता आवास सुविधा से संन्तुष्ट है, जबकि ६४.३४ प्रतिशत उत्तरदाता सन्तुष्ट नहीं है। कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारी शासकीय आवास सुविधा से सन्तुष्ठ नहीं है।

१२.उत्तरदाता पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारी आवास सुविधा से सन्तुष्ट नहीं है, उनमें ८९.१५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि शासकीय आवास में बिजली, पानी, रखरखाव, की कमी के साथ दूषित वातावरण भी है। जबकि १०.८५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किराया अधिक एवं सुविधाएँ कम होना बताया। कहा जा सकता है कि शासकीय आवासो में बिजली, पानी, रखरखाव की कमी के साथ साफ-सफाई का भी अभाव है।

१३.प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि ६४.२५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारी पुलिस विभाग में जनता की सेवा करने के उद्देश्य से भर्ती हुए, ६.५ प्रतिशत उत्तरदाताओं को अनुकम्पा नियुक्ति मिली, ७.७५ प्रतिशत केवल अपना रूतबा जमाने के लिये पुलिस सेवा में आय, ११.७५ प्रतिशत प्रतिष्ठा मान-सम्मान के लिये पुलिस सेवा करने की चयन किया। ९ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पुलिस सेवा में आने का उद्देश्य पैसा कमाना बताया, जबकि ०.७५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों ने अन्य कारण बताया। कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता पुलिस कर्मी एवं अधिकारियों को पुलिस सेवा में आने के उद्देश्य केवल जनता की सेवा करना है, आंकड़ों से स्पष्ट होता है।

१४.शोध अध्ययन में पाया गया कि उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों को नौकरी परिवर्तन करने का अवसर मिलता है तो ३५.७५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों ने शिक्षक/प्रोफेसर बनना बताया, जबकि २१.५ प्रतिशत ने वकील १४.२५ प्रतिशत ने प्रशासक, ९.७५ प्रतिशत ने व्यवसाय, ११.०० प्रतिशत ने अन्य, ७.७५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई भी नहीं करेंगे ऐसा बताया गया। कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने शिक्षक/प्रोफेसर बनकर सेवा करना पसन्द किया है।

१५.कार्य की अवधि के अध्ययन में पाया गया कि १७.७५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों ने बताया कि कार्यावधि केवल ८ से १० घण्टे होना चाहिए, ४६ प्रतिशत ने बताया कि केवल ८ घण्टे कार्य किया जाना चाहिये जैसा शासकीय कार्यालयों में कार्य किया जाता, १३.२५ प्रतिशत उत्तरदाता ने पुलिस बल बढ़ाने पर जोर दिया, १४ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ८ घण्टे से अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसका अवर टाईम दिया जाना चाहिये, जैसा दूसरे विभागों में मिलता है। ३.२५ प्रतिशत अन्य अलग-अलग बताया जबकि ५.७५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारी कार्य की समय केवल ८ घण्टे होना चाहिए, ऐसा बताया है।

१६.अध्ययन में पाया गया कि कि २२.२५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारी ड्यूटी के दौरान मानसिक तनाव से उभरने के लिये खेलकूद द्वारा तनाव से मुक्त होत है, जबकि २७.२५ प्रतिशत उत्तरदाता मनोरंजन के द्वारा, १२.७५ प्रतिशत पान-गुटका खाकर, ९.२५ प्रतिशत उत्तरदाता धूम्रपान कर, ९.७५ प्रतिशत उत्तरदाता मद्यपान का उपयोग कर तनाव से मुक्त करने का प्रयास करते है। ३ प्रतिशत उत्तरदाता ने अन्य द्वारा तनाव से मुक्त रहना बताया, १५.७५ प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी है, जो ऐसी परिस्थितियों में कुछ नही करते। कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता पुलिसकर्मी एवं अधिकारी तनाव से मुक्त रहने के लिये मनोरंजन के साधनों को इस्तेमाल करते हैं।

१७.अध्ययन में पाया गया कि कि ८३.५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस कर्मीयों की रात्रिकालीन गश्त में ड्यूटी लगाई जाती है, १५.५ प्रतिशत ने बताया उनकी ड्यूटी रात्रिकालीन गश्त में नहीं लगाई जाती है। जिसका कारण उन्होंनें स्पष्ट नहीं किया शोधार्थी द्वारा पूछने पर जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार ५६.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों ने बताया उनको भी रात्रीकालीन गश्त ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि ४३.५ प्रतिशत ने बताया कि उनकी ड्यूटी रात्रिकालीन गश्त में नहीं लगती है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारियों को रात्रि कालीन गश्त ड्यूटी करनी पड़ती है।

१८.अध्ययन में पाया गया कि १८ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिसकर्मीयों का रात्रिकालीन गश्त की ड्यूटी के समय विभागीय वाहन सुविधा मिलती है, ५६ प्रतिशत ने बताया कि स्वयं के वाहन का उपयोग करते है, ११.५ प्रतिशत सायकल से रात्रिकालीन गश्त ड्यूटी करना बताया, ६.५ प्रतिशत

अन्य वाहन का उपयोग करना बताया, जबकि ८ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस कर्मीयों ने बताया कि उनकी रात्रिकालीन गश्त ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इसी प्रकार ३८ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनकी रात्रिकालीन गश्त ड्यूटी के दौरान उनको विभागीय वाहन सुविधा मिलती है, १६.५ प्रतिशत ने स्वयं के वाहन का उपयोग करना बताया १६ प्रतिशत ने अन्य साधन द्वारा रात्रिकालीन गश्त ड्यूटी करना बताया जबकि २३.१ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनकी रात्रिकालीन गश्त ड्यूडी नही लगाई जाती है। स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता पुलिस कर्मी रात्रिकालीन गश्त ड्यूटी के स्वयं के वाहन का उपयोग करते है। जबकि अधिकांश उत्तरदाता पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात्रिकालीन गश्त ड्यूटी के दौरान उन्हें विभागीय वाहन सुविधा उपलब्ध होती है

१६.अध्ययन में पाया गया कि आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पांच वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले ११ प्रतिशत पुलिसकर्मी है, जबकि ६.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी है। इसी प्रकार ५ वर्ष की सेवा अवधि वाले १३.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी १३ प्रतिशत पुलिस अधिकारी है, १० से १५ वर्ष २० वर्ष वाले ६.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी, १०.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी, २० से २५ वर्ष वाले १७ प्रतिशत पुलिस कर्मी २१.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी, २५ से ३० वर्ष वाले १३ प्रतिशत कर्मी, ६ प्रतिशत पुलिस अधिकारी, ३० से ३५ वर्ष वाले ६.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी, १२.५ प्रतिशत अधिकारी, ३५ से ४० वर्ष की सेवा अवधि वाले ५.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ८.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी है। स्पष्ट है कि १० से १५ वर्ष की सेवा अवधि वाले पुलिस कर्मी की संख्या का प्रतिशत है, जबकि २० से २५ वर्ष की सेवा अवधि वाले पुलिस, अधिकारीयों की संख्या का प्रतिशत अधिक है। कहा जा सकता है कि १० से १५ वर्ष की सेवा अवधि वाले पुलिस कर्मियों की संख्या अधिक है, जबकि २० से ३० वर्ष की सेवा अवधि पुलिस अधिकारियों की संख्या अधिक है।

२०.अध्ययन में पाया गया कि उत्तरदाता पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों में १०.५ प्रतिशत पुलिसकर्मी एवं ८ प्रतिशत पुलिस अधिकारी सी. आई.डी. शाखा में पदस्थ है। इसी प्रकार ४ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं १०.५ अधिकारी मुख्य शाखा, ६.५ पुलिस कर्मी एवं ४.५ पुलिस अधिकारी हरिजन कल्याण थाना, ५२ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ४८.५ प्रतिशत अधिकारी मुख्य थानों, ५.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं १४.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय ४ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं २.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी अन्य सहायक अकादमी २ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ४.५ पुलिस अधिकारी अन्य स्थान पर पदस्थ है। स्पष्ट है कि अधिकांश पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारी पुलिस थाना पर पदस्थ है। कहा जा सकता है, अधिकांश पुलिस कर्मी एंव पुलिस अधिकारी थानों पर पदस्थ होकर अपनी सेवाएँ दे रहे है।

२१.अध्ययन में पाया गया कि ३८.५ प्रतिशत पुलिस कर्मीयों को रू. ५०० से ५०० तक यात्रा भत्ता मिलता जबकि पुलिस अधिकारियों की संख्या का प्रतिशत नगण्य है। इसी प्रकार २६ प्रतिशत पुलिस कर्मीयों का एवं १६.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों का रू. ५०० से ७००, १२ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं २०.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी को रू. ७००–६००, यात्रा भत्ता मिलता है। रू. ६०० से ११०० यात्रा भत्ता जिसने पुलिस कर्मीयों की संख्या का प्रतिशत नगण्य है। जबकि २६.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें ६०० से ११०० भत्ता मिलता है, रू. ११०० से अधिक का भत्ता लेने वाले में पुलिस कर्मियों की संख्या का प्रतिशत नगण्य है, जबकि ३६.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों से बनाया कि उन्हें ११०० से अधिक यात्रा भत्ता मिलता है। २३.५ प्रतिशत पुलिस कर्मीयों ने यात्रा भत्ता नहीं मिलना बताया है, जबकि पुलिस अधिकारियों की संख्या का प्रतिशत नगण्य है। कहा जा सकता है कि अधिकांश पुलिस कर्मीयों को राशि रू. २०० से ५०० रू. तक भत्ता प्राप्त होता है। जबकि रू. ११०० से अधिक भत्ता लेने वाले अधिकारियों की संख्या अधिक है।

२२.अध्ययन में पाया गया कि २१.५ पुलिस कर्मी एवं १८ प्रतिशत पुलिस अधिकारी का सेवा अवधि में एक बार स्थानांतरण हुआ। १०. पुलिस कर्मी एवं २१.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारीयों का दो बार, १४.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ६.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारीयों का तीन बार, १६ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं १४ प्रतिशत पुलिस अधिकारी का चार बार, ६.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं १२ प्रतिशत पुलिस अधिकारी का पांच बार, ८ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ६ प्रतिशत पुलिस अधिकारी का छः बार ६ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ४.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी का सात बार सेवा अवधि में स्थानांतरण हुआ। जबकि ११ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ६.५ पुलिस अधिकारीयों ने बताया कि उनका स्थानांतरण नहीं हुआ। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पुलिस कर्मियों का उनकी सेवा अवधि में चार बार स्थानान्तरण हुआ। इसी प्रकार अधिकांश पुलिस अधिकारियों का उनकी सेवा अवधि में दो बार स्थानान्तरण हुआ।

२३.अध्ययन में पाया गया कि ४०.५ प्रतिशत पुलिस कर्मीयों को रू. १५०० से ३००० स्थानान्तरण भत्ता मिलता है, जबकि पुलिस अधिकारियों की संख्या का प्रतिशत नगण्य है। इसी प्रकार १४.५ प्रतिशत पुलिस कर्मीयों को रू. ३००० से ४५०० मिलता है। इसमें भी पुलिस अधिकारीयों की संख्या का प्रतिशत नगण्य है। १५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं २.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों को रू. ४५०० से ६०००, १६ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ५.५ पुलिस अधिकारीयों का रू. ६००० से ७५०० , ३४ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों को रू. ७५०० से ६००० स्थानांतरण भत्ता मिलता है, इसमें पुलिस कर्मियों की संख्या का प्रतिशत नगण्य है। जबकि ४८.५ प्रतिशत अधिकारियों के राशि रू. ६००० से अधिक स्थानांतरण भत्ता मिलता है, इसमें भी पुलिस कर्मीयों की संख्या का प्रतिशत नगण्य है। ११ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ६.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण भत्ता नही होना बताया गया। इसलिएँ इनकों स्थानान्तरण भत्ता अभी प्राप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि अधिकांश पुलिस कर्मियों को रू. १५०० से ३००० एवं अधिकांश पुलिस अधिकारियों को राशि रू. ६००० से अधिक स्थानांतरण भत्ता प्रापत होता है।

२४.अध्ययन में पाया गया कि ७१.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ६४.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी ने भविष्य निधि अंशदान खाते से पैसा निकाला, जबकि २८.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ३४.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी ने भविष्य निधि अंशदान खाते से पैसा नहीं निकाला उनका कहना है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। कहा जा सकता है कि अधिकांश पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारी ने अपनी पूरी सेवा अवधि में किसी न किसी रूप में अपने भविष्य निधि अंशदान खाते से राशि निकाली है।

२५.अध्ययन में पाया गया कि कहा जा सकता है कि अधिकांश पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारी ने अपने भविष्य निधि अंशदान खाते से राशि निकालने के लिये औपचारिकता बहुत अधिका होना बताया है।

२६.मुख्यतः पाया गया कि अधिकांश पुलिस कर्मियों ने स्वयं या अपने बच्चों के विवाह हेतु अपने भविष्य निधि अंशदान खाते से राशि निकाली एवं अधिकांश पुलिस अधिकारियों ने मकान बनवाने या खरीदने के लिये अपने भविष्य निधि अंशदान खाते से राशि निकाली।

२७.अध्ययन से ज्ञात हुआ कि १६.५ प्रतिशत पुलिसकर्मी एवं ६.५ प्रतिशत को संकट निधी से गम्भीर बीमारी के लिये अनुदान सहायता प्राप्त हुई। जबकि १२ प्रतिशत पुलिसकर्मी एवं ७ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस निधी से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। ७१.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ८३.५ प्रतिशत अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ी। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पुलिस विभाग द्वारा कल्याण निधी के अन्तर्गत संचालित संकट निधी द्वारा कल्याण निधी के अन्तर्गत संचालित संकट निधी का लाभ पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हुआ।

२८.प्रस्तुत शोध में पाया गया कि ६.५ प्रतिशत कर्मी एवं ४ प्रतिशत पुलिस अधिकारी इस योजना द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को त्रुटिपूर्ण मानते है, जबकि १२ प्रतिशत पुलिसकर्मी एवं ५.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी का मानना है कि आवेदित व आवेदन पत्रों की जांच परीक्षण सही ढंग से नहीं किया जाता है। ४.५ प्रतिशत पुलिसकर्मी एवं २.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी उत्तरदाताओं का कथन है, कि सबंधित अधिकारी उपलब्ध नहीं रहते, ३.५ प्रतिशत पुलिसकर्मियों एवं ३ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों ने बताया इस योजना के लिये समय सीमा निर्धारित नहीं है। २ प्रतिशत कर्मियों एवं १.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों ने अन्य कारण बताये जबकि ७१.५ प्रतिशत पुलिस कर्मियों एवं ८३.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि इस हेतु अभी तक उनको आवश्यकता नहीं पड़ी और न ही उन्होंने इस योजना में आवेदन किया। पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारियों उपरोक्त दर्शायी गई गम्भीर बीमारियों के लिये संकट निधी से सहायता प्राप्त होती है, जिससे इनके मनोबल में वृद्धि होती है।

२९.अध्ययन में पाया गया कि ८ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ४ प्रतिशत पुलिस अधिकारी इस योजना को उत्तम मानते है, ४.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ३ प्रतिशत पुलिस अधिकारी का मत है कि अनुदान मिलने में समय अधिक लगता है, ८.५ प्रतिशत पुलिसकर्मी एवं ५.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी का सोचना है कि अनुदान राशि को और बढ़ना चाहिए। २ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं १.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अनुदान प्रापत करने की प्रक्रिया को संक्षिप्त करना चाहिए, ३.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं २ प्रतिशत पुलिस अधिकारी इस अनुदान राशि से सन्तुष्ट नहीं परन्तु उन्होंने अपनी असन्तुष्टी का कारण स्पष्ट नहीं किया और न ही शोधकर्ता को स्पष्ट बताया न ही इस प्रश्न पर शोधकर्ता को सन्तुष्ट किया। १.१ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ०.५ पुलिस अधिकारियों ने अनुदान राशि प्राप्त करने के अन्य कारण बताये जो स्पष्ट नहीं किये गय। ७१.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ८३.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों द्वारा योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया। मध्यप्रदेश पुलिस विभाग द्वारा कल्याणकारी निधी के अन्तर्गत संकट निधी जो अति महत्वपूर्ण योजनाएँ है उसका किसी न किसी रूप में पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

३०.शोध अध्ययन से ये पाया कि अधिकांश पुलिस कर्मी इन योजनाओं को अच्छी मानते है एवं अधिकांश पुलिस अधिकारी बहुत अच्छी मानते है।

३१.निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अधिकांश पुलिस कर्मियों को योजनाओं की जानकारी है, जबकि १०० प्रतिशत पुलिस अधिकारियों को भी योजनाओं की जानकारी है।

३२.निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अधिकांश पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा पेट्रोल पम्प खोलने के लिये आवेदन किये है।

३३.अध्ययन में पाया गया कि जिन पुलिस कर्मियों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा कल्याण निधी योजना द्वारा व्यवसाय के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है, उनमें २३.५ प्रतिशत आवेदनकर्ताओं को सम्बन्धित व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया ४०.५ प्रतिशत आवेदनकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं किया गया। जबकि ३६ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस कर्मियों के पारिवारिक सदस्यों के द्वारा कल्याण निधी योजना के अन्तर्गत चलाई जा रही योजनाओं के लिये किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार पुलिस अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा बताया गया कि उन्हे किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। ७३.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। स्पष्टता कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण सिर्फ गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, सिलाई/कढाई/बुनाई, जनरल स्टोर, केन्टीन एवं डेयरी व्यवसाय के लिये आवश्यक है। इस योजना के आमंत्रित प्रशिक्षणार्थियों को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया गया।

३४.अध्ययन में विशेष पाया गया कि १४.५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस कर्मियों के पारिवारिक सदस्यों को १० हजार से १५ हजार की राशि व्यवसाय शुरू करने के लिये कल्याण निधी द्वारा प्राप्त हुई है। जबकि २.५ प्रतिशत की १५ हजार से २० हजार, १६.५ प्रतिशत को २० से ३० हजार रूपये की राशि प्राप्त हुई। ४७.५ प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस कर्मियों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा आवेदन नहीं किये एवं जिनको राशि प्राप्त नहीं है। उत्तरदाता पुलिस अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों को व्यवसाय हेतु प्राप्त राशि की संख्या का प्रतिशत नगण्य है। १.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों ने पेट्रोल पम्प खोले जाना बताया है।

३५.अध्ययन में पाया गया कि २३.५ प्रतिशत उत्तरदाता पलिस कर्मियों के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि कागजी कार्यवाही बहुत अधिक है। १०.५ प्रतिशत ने बताया कि समय अधिक लगता है, १२ प्रतिशत ने बताया बार-बार जाना पड़ता है, ६.५ प्रतिशत पुलिस कर्मियों ने बताया कि राशि प्राप्त करने में उनके मांग की गई थी जो स्पष्ट नहीं बताया गया। मांग से तात्पर्य रिश्वत भी हो सकता सम्भवतः। इसी प्रकार पुलिस अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा उपरोक्तों को प्राप्त व्यवसाय के लिये राशि मिली है, उन व्यवसाय के लिये आवेदन नहीं किये गया। अर्थात् स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा छोटे व्यवसाय हेतु आवेदन नहीं किया गया।

३६.अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाता पुलिस कर्मियों ने मनोरंजन के साधन बताया है, जबकि अधिकांश उत्तरदाता पुलिस अधिकारियों ने ऑफिसर्स मेस सुविधा बताया है।

३७.प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यो द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों द्वारा संचालित शिक्षा निधी से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है।

३८.अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा निधी से प्राप्त छात्रवृत्ति अधिकांश उत्तरदाता पुलिसकर्मी के पारिवारिक सदस्य को रू. १०००-१४०० प्राप्त हुए है जबकि अधिकांश पुलिस अधिकारियों के पारिवारिक सदस्य को रू. १४००-१८०० प्राप्त हुये है।

३९.अध्ययन में पाया गया कि १६.५ प्रतिशत आरक्षक (पुलिस कर्मी) एवं ८.५ प्रतिशत पुलिस अधिकारी (सहायक उप निरीक्षक) के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, चूंकि योजना सिर्फ आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी/ पुलिस कर्मियों के लिये है। इसलिए उनसे उपर के अधिकारियों के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके।

४०.शोध अध्ययन में पाया गया कि उत्तरदाता पुलिस कर्मीयों के पारिवारिक सदस्यों को उच्च शिक्षा अनुदान प्राप्त करने में कठिनाई आई उसमें ३३.३३ प्रतिशत ने बार-बार चक्कर लगना पडे बताया, २१.२२ प्रतिशत ने सिफारिश लगवाई, २४२४ प्रतिशत ने कागजों की कमी होना बताया, बाद में दुरस्त की गई बताया, १२.१२ प्रतिशत कोई मांग की गई बताया, परंतु यह नहीं बताया की मांग पूरी की गई या नहीं, ६.०६ प्रतिशत ने अन्य बताया, इसी प्रकार उत्तरदाता पुलिस अधिकारियों ने ७.६५ प्रतिशत बार-बार चक्कर लगाना पडे बताया, २६.४२ प्रतिशत ने सिफारिश लगवाई, १७.६४ प्रतिशत ने कागजों में कमी होना बताया, बाद में ठीक की गई बताया, २३.५३ प्रतिशत मांग की गई जो स्पष्ट नहीं है, ११.७ प्रतिशत ने अन्य कारण बताया। कहा जा सकता है कि अधिकांश पुलिस कर्मीयों को अनुदान प्राप्त करने में कठिनाई आयी, जिसमें

बार-बार चक्कर लगाना पडे, जबकि अधिकांश पुलिस अधिकारियों ने सिफारिश लगवाकर अनुदान प्राप्त किया।
४१.अध्ययन के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, कि अधिकांश पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों शिक्षा ऋण के लिये आवेदन नहीं किया। ६.५ प्रतिशत पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारी के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि औपचारिकताए बहुत है, ५.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारी ने समय अधिक लगना बताया, २.५ पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारी ने भ्रष्टाचार बताया, २.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारी ने अन्य कारण बताया, जबकि ७८.५ प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं ८२ प्रतिशत पुलिस अधिकारियों द्वारा या उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा उच्च शिक्षा ऋण के लिये कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये। अधिकांश पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारियों ने उच्च शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिये औपचारिकता बहुत अधिक होना बताया है।
४२.शोध अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश पुलिस कर्मी मासिक किश्त एवं अधिकांश पुलिस अधिकारी वार्षिक किश्त द्वारा ऋण की वापसी कर रहे है।
४३.अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश पुलिसकर्मीयों एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा कल्याण निधी की जिला निधी ऋण योजना से किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया है।
४४.अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधिकारियों को इस चिकित्सा राहत निधि से राहत राशि प्राप्त हुई।
४५.अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश पुलिस कर्मीयों एवं पुलिस अधिकारियों (जिनमें केवल सहायक उपनिरीक्षक एंव उपनिरीक्षक सम्मिलित) को इस निधी से राहत राशि प्राप्त हुईं
४६.अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश पुलिसकर्मीयों एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा पारिवारिक सदस्यों की बीमारी के समय चिकित्सा अग्रिम लिया है। इस निधी के अन्तर्गत दुर्घटना अथवा गम्भीर अस्वस्थता के समय उसके परिजन के पास इलाज की व्यवस्था नही है, तो उसके उपचार एवं कल्याण के पूरी व्यवस्था इस निधि द्वारा की जाती है।
४७.अध्ययन में पाया गया कि कल्याणकारी निधी द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ पुलिस कर्मीयों एवं अधिकारियों को अवश्य मिल रहा है।
४८.अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश पुलिस कर्मीयों और पुलिस अधिकारी इस योजना से सन्तुष्ट है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१.वर्मा, अरविंद एवं सुब्रमनियम, के.एस. Understanding the Police in India, ISBN-9788180385698, Addition-I, 2009
२.कुमार, अशोक, Human in Khakhi Mk;e.M बुक प्रकाशन, नई दिल्ली
३.कुमार अशोक खाकी में इन्सान (हिन्दू अनुवाद), राजकमल प्रकाशन, प्रकाशन-पुलिस मुख्यालय, भोपाल २००२
४.त्रिपाठी एस.सी. भ्नजवंद त्पहीजे - Police Custody, प्रकाशन-पुलिस मुख्यालय, भोपाल, २००२
५.Charles R. Swansou etc. "Police Administration- Structures, Process and Behaviour" Collier Publishing, London
६.Hamilton Mary E. The Police Women, Her services and Ideals (New York Stokes, 1924)
७.Leonard V.A., Police organization and Management (Brooklyn, The Foundation Press, 1951)
८.Parasher Dr. Rajendra, "Police Administration" Deep and Deep Publication, New Delhi
९.Wilson O.W. "Distribution of Police Petrol Force", Public Administration Service, No. 74 (Chicago, 1941)
१०.दुबे प्रमिला, मानवाधिकार शिक्षा के दार्शनिक आधारों का विश्लेषण-एक अध्ययन, शोध समीक्षा और मूल्यांकन (अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका), जनवरी २००९
११.शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश, सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ, पंचशील प्रकाशन, जयपुर-२००३
१२.मदन, जी.आर., भारतीय सामाजिक समस्याऐ, विवेक प्रकाशन, नईदिल्ली-१९८८
१३.मुखर्जी, रविन्द्रनाथ, सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, सरस्वती सदन, नई दिल्ली-१९९९
१४.कपिल, एच.के., अनुसंधान विधियां, तृतीय संस्करण विनोद प्रकाशक सदन आगरा
१५.आहूजा राम, भारतीय समजा रावत पब्लिकेशन, जयपुर- २००१
१६.बघेल, डी.एस. परिवार और समाज, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल-१९९५
१७.खन्ना, सुषमा, भारतीय सामाजिक संस्थाए, स्वस्तिक पब्लिशर्स, जयपुर १९९२
१८.पाण्डे, जी.सी. रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइन्स
१९.वाजपेयी एस.आर., सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण, किताबघर, कानपुर, २००२
२०.डॉ. एस. अखिलेश : पुलिस प्रक्रिया, गायत्री पब्लिकेशन, पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीवा (मध्यप्रदेश)
२१.कालेन्द्र : ए. पब्लिकेशन्स ऑफ मध्यप्रदेश पुलिस, इन्दौर उज्जैन जोन, प्रकाशक कालेन्द्र पब्लिकेशन्स, कमेटी, पुलिस ऑफीसर्स मेस, उज्जैन (म.प्र.)
२२.गुप्ता रघुनाथ एवं एस.एन.मुंशी - ग्रामीण समाजशास्त्र भारतीय परिवेश में विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण
२३.गोयल डॉ. द्वारकादास : ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र, भाग दो
२४.जोशी डॉ. ओमप्रकाश : ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र, रिसच्र पब्लिकेशन जयपुर, १९८२'८३
२५.थियोडोरसन एण्ड थियोडोरसन : ए मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी
२६.पुलिस विज्ञान, प्रथम, प्रकाशक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रथम, मुरादाबाद, १९९०
२७.रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन पुलिस ट्रेनिंग (गोरे कमेटी), मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, वी.पी.आर. एण्ड डी..नई दिल्ली
२८.सुल्तान अकबर खाँ : 'पॉवर पुलिस एवं पब्लिक'
२९.डॉ. किरण बेदी : मोर्चा-द-मोर्चा

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

* International Scientific Journal Consortium
* OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org